scheme. There are two issues, here. Firstly, we want to see how successfully it works with the LIC. Secondly, to the LIC the Government can compensate, what I would call, the gap in the income and expenditure of the LIC, without meeting with any criticism from my hon. colleagues here. Were I to extend the same gap filling to private insurance companies and other banks, I have some apprehension that all of you will then say that we are not doing the correct thing. So, we are, at the present moment, moving with LIC only as the vehicle for doing this. We will see how it works, and then, review the whole situation again.

*631. [The questioner (SHRI AMAR SINGH) was absent. For answer *vide page 3% infra]*

*632. [The questioners (SHRI RAM JETHMALANI AND SHRI KAPIL SJBAL) were absent. For answer *vide* page 39-4*1 infra.)*

NPAs of NBFCs

*633. SHRI DATTA MEGHE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

whether RBI has recently asked the Non-Banking Financial Companies to furnish information regarding Non-Performing Assets in their balance sheets;

if so, the position on Non-Performing Assets of NBFCs as on 31st March, 2003;

whether Government have taken any steps to ensure Non-Performing Assets of NBFCs are cleared within a stipulated period of time; and

if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI JASWANT SINGH): (a) to (d) A Statement is placed on the Table of the House.

Statement

Yes, Sir.

Non Performing Assets of Non-Banking Finance Companies (NBFCs) as reported by Reserve Bank of India (RBI) as on March 31,2002 (latest available) were Rupees 3294.87 crores.

and (d) Reserve Bank of India has reported that it has prescribed, as part of the prudential standards for NBFCs, the norms for provisioning against Non Performing Assets (NPAs). The provisions are to be created by NBFCs at a graded scale of percentage of the outstanding balance after the assets became

non-performing. The norms envisage that the NBFCs either realise their dues from the borrowers through recoveries or scale of securities charged to them or make provisions out of their profit and loss account within a specified period.

श्री दत्ता मेघे: सभापति महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में नॉन –बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ को जो निर्देश दिए थे कि वे अपनी बैलेंस शीट के साथ कुछ और विवरण भी प्रस्तुत करें, तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या सभी नॉन-बैकिंग फाइनेंशियल कंपनिज़ ने पूरा विवरण दे दिया है? यदि नहीं दिया है तो सरकार और रिज़र्व बैंक ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

श्री जसंवत सिंह : सभापति जी, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि नॉन-बैंकिग फाइनेंशियल कंपनीज़ की जो व्यवस्था है, वह अपने आप में कई जगह विभाजित है। कुछ प्रकार की नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं जिनका केंद्रीय सरकार से कोई संबंध नहीं है । कुछ कंपनीज़ कंपनी अफेयर्स से ताल्लुक रखती हैं, कुछ रिज़र्व बैंक से ताल्लुक रखती हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स से ताल्लुक रखती हैं। यही सब कुछ देखते हुए एक बिल हमने प्रस्ताविक किया था और वह बिल अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास है । जब तक इस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के बिल को स्टैंडिंग कमेटी अपनी स्वीकृति नहीं दे देगी, इस प्रकार की जैसी सूचनाएं माननीय सदस्य चाहते हैं, एक स्थान पर केंद्रीय सरकार को इकट्ठा करके सदस्य को सूचित करना संभव नहीं है । यही सबसे बडी कमी आजकल NBFCs या नॉन-बैंकिंग फानेंशियल कंपनीज़ की है और अपने आप में जो डिपॉज़िट एक्सेप्टिंग कंपनीज़ हैं, जहां डिपॉज़िट लिया जाता है, वे लगभग 730 हैं और उन्होंने यह सूचना हमको दे दी है । जो कंपनियां डिपॉज़िट रिसीव करती हैं, उन्होंने यह सूचना दे दी है और बाकी के लिए यह संभव नहीं है कि हम आपको सूचना दे सकें ।

श्री दत्ता मेघे : सभापति महोदय, नॉन-बैंकिंग-फाइनेंशियल कंपनीज में बहुत से घोटाले होते हैं, लोगों के पैसे वे ले जाते हैं और रिज़र्व बैंक जो उनको पूरा कंट्रोल करता है, उनके रुल्स भी ये कम्पनियां follow नहीं करती हैं, इसलिए मैंने यह प्रश्न पूछा था। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ को जिन्होंने सरकार या रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों को लागू नही किया है, उन पर कुछ कार्यवाही क्या सरकार की तरफ से हो सकती है? क्योंकि बहुत से लोगों का पैसा बहुत सी नॉन-बैंकिग फाइनेंशियल कंपनीज़ हड़प कर लेती है और गरीब लोगों का पैसा वापस नहीं मिल पाता है । इसलिए रिज़र्व बैंक के रुल्स जो कंपनियां follow नहीं करतीं, उनको रिज़र्व बैंक बंद करे, ऐसी कोई कार्यवाही करने की सरकार सोच रही है क्या ?

श्री जसंवत सिंह : सभापति महोदय, मैं पुनः माननीय सदस्य को कहूंगा कि अगर यहां मैं सूची पढ़कर सुनाऊं तो करीब 13 प्रकार की नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं और 13 प्रकार

की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के भिन्न-भिन्न राजा है, वे किस-किसको सलाम करते हैं, उसमें आप कहें कि सबको एक जगह घेरकर हम कोई कार्यवाही करें तो इसमें जो कार्यवाही की जा चुकी है, उसकी सूचना मैं आपको दे देता हूं। इसमें प्रोहिबिट्री आर्डर करीब दो सौ पंद्रह इश्यू किए गए हैं, पैंतीस पर पेटीशन फाइल की गई हैं , क्रिमिनल कम्प्लेन्ट तैंतीस पर लांच की गई हैं, स्पेशल ऑफीसर तीन पर एप्वाइंट हुए हैं, उनतीस के सर्टिफिकेट कैंसिल किए गए हैं और पुलिस कम्पलेन्ट तेरह पर फाइल की गई हैं । नंबर ऑफ केसस, नॉन- बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज बाइस हैं। मेरा माननीय सदस्य से कहना है कि इसमें सुधार का एक ही तरीका है कि फाइनेंस की जो स्टैण्डिंग कमेटी है इसमें इस बिल को सिग्नल नहीं मिल रहा है, जैसे ही सिग्नल मिलेगा इसमें सुधार होगा । यह दृष्टिगत है ।

MISS MABEL REBELLO: Sir, already, my senior colleague has said that most of these non-banking companies have taken money from the gullible small investors... *(Interruptions)*...

श्री सभापतिः रिपीट मत कीजिए ।

MISS MABEL REBELLO: When these investors ask these people to return their money, even the cheques that they give are bounced. They are not getting the interest; they are not getting their capital. I would like to know from the hon. Minister what protection is given to the small investors.

श्री जसवंत सिंह : माननीय सदस्या के इसी सवाल का मैंने कई रुप से जवाब दिया है। हम उतने ही चिंतित हैं ।...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः जिस रुप में वे समझ पाएं उसी रुप में जवाब दे दीजिए ।...

श्री जसवंत सिंहः सभापति जी, माननीय सदस्या मुझसे नाराज न हों । हम उतने ही चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि इसमें सुधार हो । मैं आपसे निवेदन करता हूं-यदि कुछ आकंड़े देने लगूं तो हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशन्स करीब सैंतीस हजार से ज्यादा हैं । यह जो बिल स्टैडिंग कमेटी के पास है जब तक उसे स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक एक प्रकार से ...(व्यवधान)...

कुमारी मैबल रिबेलोः सरकार गरीबों की सेफ्टी के लिए है। ये जो बड़े-बड़े लोग छोटे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं आपको उनकी मदद नहीं करनी चाहिए । छोटे इन्वेस्टर को सपोर्ट करना चाहिए, जस्टिस देना चाहिए । इसी के लिए आप है ।

श्री जसवंत सिंह : सभापति जी, मैं यही कर रहा हूं । हम उसी दिशा में जा रहे हैं । उस दिशा में गाडी रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है । आप अपने चेयर मैंन साहब से कहिए , जो स्टैण्डिंग कमेटी

के चेयरमैन है कि वे जल्दी से इस गाडी को रवाना कर दें। हम यहां कानून पास कर देंगे और उसमें सुधार हो जाएगा

HRIM. RAJASEKARA MURTHY : Sir, are the Government aware that there are two kinds of no-banking companies, those who accept the public deposits and those who do not accept the public deposits? With regard to those companies which do not accept the public deposits, the Reserve Bank does not have any power to guide them or to take any action against them.

SHRI JASWANT SINGH : Sir, it is self-evident that the Reserve Bank is already acting under the authority and the power that it has. What I am submitting to the hon. Member is that, after all, there are limits to what the Reserve Bank can do. Therefore, there is a legislation which is pending with the Standing Committee. As soon as that is done, it will *be...(Interruptions)...*

केदारनाथ धाम के लिए हेलीकाप्टर सेवा

*634 **श्रीमती सविता शारदाः** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

क्या केदारनाथ धाम के लिए हेलीकाप्टर सेवा शुरु करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है :
यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन**) : (क) से (ग) पवन हंस हेलीकाप्टर्स लि0 नागर विमानन मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसकी मई , 2003 के मध्य से जून, 2003 के अंत तक प्रयोगिक आधार पर अगस्तमुनि से केदारनाथ के लिए पांच सीटर बेल-407 हेलीकाप्टर से सेवाएं प्रचालित करने की योजना है ।

Helicopter service to Kedarnath Dham

†*634. SHRIMATI SAVITA SHARDA : Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state :

whether there is any proposal under Government's consideration for introducing helicopter service to Kedarnath Dham;

if so, the details thereof; and

by when a decision is likely to be taken in this regard?

†Original notice of the question was received in Hindi.